न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 44 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 72

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
पुष्पादेवी पत्नी करनाराम जाति जाट निवासी उदय सर्विस स्टेशन कुड़ी भगतासनी रोड़ जोधपुर जिला जोधपुर		1.हिमताराम पुत्र नारणाराम जाति नाई निवासी थोब तहसील कल्याणपुर 2.अचलाराम पुत्र मेराम जाति चौधरी निवासी रामनगर तहसील कल्याणपुर 3.कुम्भाराम पुत्र तुलछा जाति चौधरी निवासी थोब तहसील कल्याणपुर 4.तिलाराम पुत्र तुलछा जाति चौधरी निवासी थोब तहसील कल्याणपुर 5.भूराराम पुत्र तुलछा जाति चौधरी निवासी थोब तहसील कल्याणपुर 6.मनीषा पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सारण नगर ,जोधपुर 7.गुमानसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी रामनगर तहसील कल्याणपुर 8.पाबूसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी थोब तहसील कल्याणपुर 9.राजस्थान राज्य औधोगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड पता खेड़ रोड़ औधोगिक क्षेत्र बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 10.गफूर खां पुत्र फकीर खां जाति तेली निवासी थोब तहसील कल्याणपुर 11.बाबू खां पुत्र फकीर खां जाति तेली निवासी थोब तहसील कल्याणपुर 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 09

3.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 8

4.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 06

5.विप्रार्थी संख्या 01 से 5 व 7 एवं 10 से 12 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 06/12/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 757/629 क्षेत्रफल 0.7689 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 757/629 क्षेत्रफल 0.7689 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री सुरेश नारायण खारवाल द्वारा विप्रार्थी संख्या 9 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 8 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता श्री वीराराम प्रजापत द्वारा विप्रार्थी संख्या 06 की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 5 व 7 एवं 10 से 12 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 757/629 क्षेत्रफल 0.7689 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्राथीनी की खातेदारी भूमि में आए दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 757/629 क्षेत्रफल 0.7689 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 08 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि मूल खसरा संख्या 149,150 व 151 वक्त सेटलमेंट से बिला कब्जा गैर मुमकिन भूमि राजस्व रेकर्ड में अवस्थित थी, उसके बाद उक्त भूमि कब्जे के अनुसार प्रार्थीनी व अन्य व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा आवंटन की गई। प्रार्थीनी ने आवंटनशुदा भूमि विप्रार्थी संख्या 01 हिमताराम से खरीद की गई थी,जिस पर मौके पर प्रार्थीनी का पेट्रोल पम्प चल रहा है। प्रार्थीनी व विप्रार्थी के मध्य सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा न ही विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी के कब्जा में दखलदान्जी की गई है। जबकि विप्रार्थी संख्या 7 व 8 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 09 बीघा भूमि स्वर्गीय किशोरसिंह की खुदकाश्त खातेदारी होने से वक्त जागीरी व सेटलमेंट उनके खातेदारी में दर्ज हुई तथा उनके वफात के बाद उसके पुत्र खीमसिंह को प्राप्त हुई तथा खीमसिंह के वफात के बाद भूमि विरासत में विप्रार्थी संख्या 7 व 8 को प्राप्त हुए। इस प्रकार उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक विप्रार्थी संख्या 7 व 8 के हकपूर्वाधिकारी एवं विप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा भूमि के चारो तरफ तारबंदी की गई हैं। विवादित आराजी ग्राम थोब व केलनकोट की सीमाओं पर स्थित है,जो माफिक रेकर्ड,नक्शा व मौके की स्थिति में भिन्नता है। जिसके कारण सीमाओं को लेकर ओवर लेपिग का मामला है। इस प्रकार प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि के लगती विप्रार्थी की खातेदारी भूमि अवस्थित नहीं है। केवलमात्र परेशान करने की नियत से ही विप्रार्थी को पक्षकार बनाया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीनी नेखमबंदी की आड़ में मौका स्थिति फेरदबल करने की फिराक में है। अतं प्रार्थीनी का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.विप्रार्थी संख्या 09 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी दंखलदान्जी नहीं की गई है। विप्रार्थी सरकारी उपक्रम होने के कारण भूमि आवंटन हो रखी है तथा आवंटन शुदा भूमि पर ही कब्जा चला आ रहा है। इस कारण विप्रार्थी की खातेदारी भूमि के नाप व कब्जे अनुसार जमीन को छोड़कर विप्रार्थी की उपस्थिति में नेखमबंदी कार्यवाही की जावें।

6.विप्रार्थी संख्या 07 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

7.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 757/629 क्षेत्रफल 0.7689 हैक्टयर भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्रार्थीन हकदार प्रतीत हाती है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 28.1.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। केवलमात्र माठ को लेकर प्रार्थीनी व सेढा पड़ौसी खातेदारो के मध्य सहमति नहीं बन पाने की टिप्पणी अंकित है। इससे यह साबित नहीं होता है कि सीमाओं को लेकर विवाद हो। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

8.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें की हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाता न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रामनगर पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 757/629 क्षेत्रफल 0.7689 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.12.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा